न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3459–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–6–2013 पारित द्वारा अपर कलेक्टर होशंगाबाद राजस्व प्र0क0 36/अ–27/10–11

कमल वर्मा आयु करीब 45 वर्ष
आ0 श्री धरमपाल वर्मा, निवासी वार्ड नंबर 15
मालाखेडी होशंगाबाद .....आवेदक

विरूद्ध

1 कृष्णाबाई पत्नि श्री हाकमसिंह वर्मा
2 सुशीलाबाई पत्नि स्व0 श्री कन्हैयालाल वर्मा
3 कमलाबाई पत्नि श्री धरमपाल वर्मा
तीनों निवासी वार्ड नंबर 15 मालाखेडी
होशंगाबाद तहसील व जिला होशंगाबाद

.......अनावेदकगण

श्री आर0 पी0 यादव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 27 अगस्त, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश 19–6–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 कृष्णाबाई द्वारा तहसीलदार, होशंगाबाद के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रायपुर जिला होशंगाबाद स्थित भूमि सर्वे कमांक 24/2 रकबा 0.877 हेक्टेयर के अनावेदकगण संयुक्त रूप से भूमिस्वामी है । उक्त भूमि शामिल सरीक होने से अनावेदिका कमांक 1 को अनेक परेशानी उत्पन्न हो रही है और वह अपने हिस्से की भूमि का स्वतंत्र रूप से उपयोग उपभोग नहीं कर पा रही है । अतः प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 13/अ–27/07–08 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत पक्षकार बनाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 16–5–2011 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 19–6–2013 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार होशंगाबाद के समक्ष वसीयतनामे के साथ ही अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, उक्त दस्तावेजों के अवलोकन एवं परिसीमन से प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है कि आवेदक प्रश्नगत भूमि पर काबिज कास्त है तथा विगत कई वर्षों से भूमि पर कृषि कार्य कर उपयोग उपभोग करता है एवं भूमि का लगान के साथ ही अन्य सभी टैक्स अदा करता चला आ रहा है तथा मूल भू–स्वामी द्वारा आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है, तब आवेदक एक आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार है । परिणामतः आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित के साथ–साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप आवश्यक एवं अनिवार्य है ।

(2) अपर कलेक्टर द्वारा प्रथम पुनरीक्षण कमांक 24/अ–27 वर्ष 2008–09 में पारित आदेश दिनांक 10–12–2010 के आलोक में विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार होशंगाबाद के द्वारा आवेदक का नाम मूल आवेदन के शीर्षक में अनावेदक कमांक 3 के रूप में स्वंय की हस्तलिपि में स्थापित/जोड़ा गया उसके बावजूद आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 निरस्त कर दिया गया, जो कि विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार होशंगाबाद द्वारा की गई विधि की गंभीर भूल का परिणाम है । विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 की परिभाषा लिखी गई है, किन्तु उस परिभाषा को समझने में विधि की गंभीर भूल की गई है । एक ओर विचारण न्यायालय द्वारा जब आवेदक का नाम अनावेदक कमांक 3 के रूप जोड़ दिया गया था तब आदेश 1 नियम 10 के प्रावधान पूर्ण हो चुके थे ,किन्तु नाम जोड़ने के पश्चात आवेदन खारिज करना समझ से परे है । ऐसा लगता है कि विचारण न्यायालय द्वारा किसी अनुचित प्रभाव में आकर तदानुसार आदेश पारित किया है । उपरोक्त स्थिति को अपर कलेक्टर द्वारा प्रश्नगत आदेश से यथावत रखा गया । अतः उक्त बिन्दु पर अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश भी पूर्णतः विधिसंगत न होकर निरस्ती योग्य है ।

(3) दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा धारा 178 को समझने में गंभीर भूल की है, जबकि विधिक प्रावधान यह है कि जब प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न उठाया जाता है तब उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही को तब तक स्थगित किया जाना चाहिये था जब तक कि व्यवहार न्यायालय से पक्षकारगण स्वत्व के प्रश्न का निराकरण नहीं करा लेते । अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में उल्लेखित किया है कि इस दौरान आवेदक के द्वारा व्यवहार न्यायालय में कार्यवाही कर देनी चाहिये थी, किन्तु अपर कलेक्टर द्वारा विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश का पूर्ण अवलोकन परिशीलन नहीं किया है । यदि अपर कलेक्टर आदेश का सूक्ष्म अवलोकन परिशीलन करते तब पाते कि विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा मात्र एक सप्ताह का समय बटवारा कर फर्द बटान प्रस्तुत करने हेतु हल्का पटवारी को आदेशित किया था, इतने अल्प समय में व्यवहार न्यायालय के समक्ष कार्यवाही किया जाना किसी भी स्थिति में संभव नहीं था, इसके साथ ही विधिक सिद्धांत यह भी है कि किसी भी पक्षकार को व्यवहार न्यायालय के समक्ष कार्यवाही किये जाने हेतु

आदेशित एवं निर्देशित नहीं किया जा सकता, उक्त स्थिति दोनों पक्षों पर लागू होती है ।

(4) आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा प्रश्नगत संशोधन पंजी कमांक 68 दिनांक 12–3–2000 के विरूद्ध की गई अपील से संबंधित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, अस्तु अनावेदकगण के तथाकथित नामांतरण को विधि एवं प्रकिया के तहत समक्ष न्यायालय में चुनौती दी गई है, उक्त नामांतरण वर्तमान में अंतिम नहीं हुआ है, आवेदक द्वारा की गई कार्यवाहियों में उसके सफल होने की पूर्ण एवं युक्तियुक्त संभावना है । यदि आवेदक उक्त दी गई चुनौती में सफल हो जाता है तब अनावेदकगण द्वारा की जा रही कार्यवाही स्वमेंव ही निरस्त हो जावेगी । चूँकि इस स्थिति में पक्षकारों के समक्ष विषम एवं विपरीत परिस्थितियां निर्मित होने के साथ ही पक्षकारों को भविष्य में कई मुकदमों को सामना करना पड़ सकता है, इस स्थिति पर भी दोनों विचारण न्यायालयों द्वारा कोई चितंन मनन नहीं किया और न ही अपने आदेश में तत्संबंध में कोई निष्कर्ष दिया, परिणामतः प्रश्नगत दोनों आदेश निरस्ती योग्य है ।

(5) नामांतरण से किसी भी पक्ष को न तो कोई स्वत्व प्राप्त होते है न ही किसी व्यक्ति के स्वत्व समाप्त होते है । नामांतरण राजस्व अभिलेखों को अद्यतन रखने की एक प्रकिया मात्र है । तथाकथित नामांतरण से अनावेदकगण को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हुये है और न ही आवेदक के स्वत्व समाप्त हुये हैं और जब कथित नामांतरण को आवेदक द्वारा चुनौती दी जा चुकी है, तब विचारण न्यायालय को अपने समक्ष लंबित प्रश्नगत कार्यवाही को स्थगित कर देना चाहिये था, किन्तु ऐसा न कर विचारण न्यायालय द्वारा गंभीर भूल की है ।

(6) समान तथ्यों एवं आधारों तथा विधि के आधार पर आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष एक निगरानी पूर्व में प्रस्तुत की थी जिसे अपर कलेक्टर द्वारा स्वीकार किया गया तथा उन्हीं तथ्यों एवं आधारों व विधि के आधार पर प्रस्तुत द्वितीय निगरानी को अपर कलेक्टर द्वारा निरस्त कर दिया गया जो कि विधि एवं प्रक्रिया की गंभीर भूल है । अस्तु प्रश्नगत आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) सर्वप्रथम संहिता की धारा 178 के प्रावधानों पर दृष्टि डाली जाये तब स्पष्ट है कि बटवारा सहभूमि स्वामियों के मध्य होगा । यदि कोई व्यक्ति स्वत्व का प्रश्न उठाता है तब उसे अपना स्वत्व व्यवहार न्यायालय से निराकृत कराना होगा । किसी भी सह भूमि स्वामी ने स्वत्व का प्रश्न नहीं उठाया है । आवेदक सहभूमि स्वामी नहीं है । वसीयत के आधार पर दावा करता है, तब उसे संहिता की धारा 178 में कोई उपचार प्राप्त नहीं है । उसे किसी भी स्थिति में चाहे राजस्व न्यायालय उसका नामांतरण कर भी दे तब भी निश्चित रूप से स्वत्व का प्रश्न अवश्य उत्पन्न है, ऐसी स्थिति में आवेदक को राजस्व न्यायालय से कोई उपचार प्राप्त नहीं हो सकता है । उसे व्यवहार न्यायालय की शरण लेनी होगी जो उसने नही ली ।

(2) विशेष तथ्य है कि यह प्रकरण लगभग 5 वर्षों से भी अधिक समय से गतिशील है और यदि आवेदक को न्याय की आकांक्षा थी तब वह अभी तक व्यवहार न्यायालय से स्वत्व का निराकरण करा चुका होता, लेकिन अभी तक उसके द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई, अस्तु वह इस न्यायालय से भी किसी प्रकार का कोई अनुतोष अथवा कोई आदेश पारित करा पाने का अधिकारी नहीं है ।

(3) संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया जाये तब स्पष्ट है कि श्रीमती केसरबाई का निधन दीर्घ समय पूर्व हो चुका है । उसके देहावसान उपरांत आवेदक द्वारा अपने स्वंय के नामांतरण हेतु कोई कार्यवाही न किया जाना, वसीयत किसी भी प्रकार से डिस्क्लेम्ड न किया जाना तथा प्रश्नाधीन भूमि में से अपनी मां अनावेदिका कमांक 3 कमलाबाई के हिस्से पर काश्त करना उसका लगान आदि अदा करना तथा शेष 2 हिस्सों पर अनावेदक क्रमांक 1 एवं अन्य अनावेदकगण का आधिपत्य होना । उनके द्वारा अपने हिस्से के रकबे पर शामिल सरीक रूप से पृथक पृथक काश्त करना या कराना, आवेदक के साथ साथ आमजन की जानकारी में है । ऐसी स्थिति में कमल वर्मा द्वारा कोई कार्यवाही पूर्व में न करना और तब जबकि बटवारे की कार्यवाही की गयी तब व्यर्थ में झूठी आपत्ति एवं अड़ंगेबाजी करना मात्र अन्य हिस्सेदारों की संपत्ति हड़पने का षडयंत्र व कुचक है । सूक्ष्म परिशीलन किया जावे तब आवेदक का कंडक्ट समझ में आ जावेगा । अतः स्पष्ट है कि

वह किसी भी प्रकार का अनुतोष व न्याय पाने का पात्र नहीं है और तब जबकि वह इस वृद्ध महिला की संपत्ति हडपने का प्रयास कर रहा है ।

(4) आवेदक द्वारा स्वंय ही स्पष्ट किया कि पश्चातवर्ती स्थिति में उसने अनावेदकगण के नामांतरण को वसीयत के आधार पर चुनौती देते हुये अपील प्रस्तुत की थी, जो निरस्त की गयी है । ऐसी स्थिति में भी अब वह न तो हितबद्ध पक्षकार है और न ही कोई अनुतोष पाने का पात्र है ।

(5) अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है इसके साथ साथ जब कि आवेदक की अपील जो नामांतरण के विरूद्ध थी निरस्त की गयी है, उसे नामांतरण की कार्यवाही में कोई उपचार व अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता है । ऐसी स्थिति में वह किसी भी प्रकार से प्रकरण में न तो हितबद्ध पक्षकार है औरध् न ही पक्षकार बनने की पात्रता रखता है, क्योंकि विलंब व्यक्ति को न्याय से दूर ले जाता है । उसने कभी भी वसीयत को प्रदर्शित नहीं किया अनेक वर्षो तक अनावेदकगण का नाम शामिल सरीक रहा जिसकी ऋण पुस्तिका आदि आवेदक के पास भी रही, क्योंकि धारा 178 संहिता के आवेदन के पूर्व किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था ।

तर्क के समर्थन में ए0आई 1981 पंजाब आर हरियाणा के पूष्ठ 83 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 एवं 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में वसीयतनामे के साथ ही अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जिससे प्रमाणित है कि आवेदक स्व0 केसरबाई की विवादित संपत्ति के साथ ही अन्य संपत्तियों पर भी काबिज काश्त है । परिणामतः आवेदक एक आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार है, अतः आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर आवश्यक एवं अनिवार्य है ।

(2) अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–12–2010 के परिपालन में एक ओर नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक को आवेदन के टाइटल में अनावेदक कमांक 3 के रूप में

जोड़ा गया तथा पश्चातवर्ती स्थिति में आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया गया, जो वि दोनों तथ्य एक दूसरे के पूणतः विरूद्ध है । जब नाम जोड़ दिया गया था तब आदेश नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार हो चुक था, किंतु नाम जोड़ने के पश्चात आवेदन निरस्त करना विचारण न्यायालय के विधि एव प्रक्रिया के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगाता है ।

(3) आवेदक द्वारा उक्त तमाम बिन्दुओं पर अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की थी, परन्तु उक्त बिन्दु पर अपर कलेक्टर द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया अर्थात आवेदक का मूल आवेदन में पक्षकार के रूप में नाम जोड़े जाने के बिन्दु पर प्रश्नगत आदेश में कोई फाईडिंग नही दी, अर्थात यथावत रखा तथा अन्य बिन्दुओं पर आदेश पारित कर विधि एवं प्रक्रिया की गंभीर भूल की है ।

(4) विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार के साथ ही अपर कलेक्टर द्वारा भी मूल प्रकरण का सूक्ष्म अवलोकन परीशीलन न कर विधि एवं प्रक्रिया एवं नियमों का पालन न कर आदेश पारित किये गये, जो कि किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । विचारण न्यायालय को देखना चाहिये था कि आवेदक विगत कई वर्षो से विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था तथा उसके द्वारा उक्त संशोधन पंजी, जिससे अनावेदकगण का नाम दर्ज हुआ है के विरूद्ध कार्यवाही की जा चुकी है तथा समस्त दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किये जा चुके हैं, तब आवेदक को आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार निर्धारित किया जाकर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था, किन्तु ऐसा न कर दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि एवं प्रक्रिया की गंभीर भूल की है ।

(5) अनावेदक क्रमांक 1 कृष्णाबाई के पति द्वारा अपनी समस्त पैतृक चल अचल संपत्ति कई वर्षो पूर्व विक्रय कर दी गयी थी तथा अपने ससुराल की संपत्ति पर काबिज हुआ तथा ससुराल की संपत्ति में से भी अधिकांश संपत्ति विक्रय कर दी गयी तथा अनुचित एवं विधि विरूद्ध रूप से प्रश्नगत भूमि पर दर्ज हुये अपनी पत्नि कृष्णाबाई के नाम का गैरकानूनी फायदा लेकर इस संपत्ति को भी बेचना चाहता है तथा अपने गैरकानूनी उद्देश्य की पूर्ति

हेतु उसके द्वारा विवादित संपत्ति के बटवारे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जबकि विवादि संपत्ति में किसी भी अनावेदकगण का कोई स्वत्व, हित एवं अधिकार तथा हिस्सा नहीं है

(6) आवेदक को यह हक एवं अधिकार प्राप्त है कि वह स्व0 केसरबाई द्वारा निष्पादि वसीयतनामे के आधार पर प्रश्नगत भूमि का मालिक स्वामी, स्वत्वाधारी, एवं आधिपत्यधा होने के आधार पर प्रकरण में पक्षकार बनकर अपना पक्ष रखे पुनरीक्षणकर्ता एक हितब पक्षकार है । यदि आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया तो उसे अपूरक क्षति होगी

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्कों में उठाये गये आधारों के संद में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि प अनावेदकगण का नाम राजस्व अभिलेख में सहखातेदार के रूप में दर्ज हैं । संहिता व धारा 178 के अंतर्गत सहखातेदारों के मध्य ही भूमि का बटवारा किये जाने का प्रावधान है अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि में सहखातेदार नहीं है, अत तहसीलदार द्वारा उसे हितबद्ध पक्षकार नहीं मानते हुए व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश नियम 10 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की को अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इसी कारण अपर कलेक्टर द्वारा 197 आर.एन. 523 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में संहिता की धारा 178 के प्रावधान की विस्तृत विवेचना करते हुए तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की गई है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाया गया यह आधार मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि पर वह विगत कई वर्षों से कृषि कार्य करता चला आ रहा है एवं लगान एवं अन्य सभी टैक्स उसके द्वारा अदा किया जाता है, और मृतक भूमिस्वामी केसरबाई द्वारा उसके पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है, इसलिए वह हितबद्ध पक्षकार था । इसी संबंध में अनावेदिका कमांक 2, 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाया गया यह आधार भी अमान्य किये जाने योग्य है कि स्व. केसरबाई की कोई संतान नहीं थी, और उसके द्वारा आवेदक को गोद लिया गया था, क्योंकि यदि आवेदक को स्व. केसरबाई द्वारा गोद लिया गया था, और वह अनेक वर्षों से प्रश्नाधीन भूमि पर कृषि कार्य कर, लगान आदि जमा कर रहा था तथा उसके पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया था, तब उसे समय रहते

प्रश्नाधीन भूमि पर अपने पक्ष में नामांतरण कराने की कार्यवाही करना थी, परन्तु उस द्वारा अनेक वर्षों तक इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, और न ही समय रह अनावेदकगण के पक्ष में हुए नामांतरण को चुनौती दी गई है । इसके अतिरिक्त यदि प्रश्नाधीन भूमि पर उसका स्वत्व है, तब उसे स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय से कराना चाहिए । तहसील न्यायालय में प्रचलित बटवारे के प्रकरण में उसे हितबद्ध पक्षकार मान्य नहीं किया जा सकता है । आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2, 3 की ओर से लिखित तर्क में उठाया गया यह आधार भी मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि पूर्व में अपर कलेक्टर के आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा आवेदक को अनावेदक कमांक 3 के रूप में पक्षकार बनाया गया था, अतः बाद में आवेदक की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है क्योंकि उसे पक्षकार बनाये जाने से उक्त प्रावधान की पूर्ति हो गई थी, कारण तहसीलदार द्वारा आवेदक को आवेदन पत्र में आपत्तिकर्ता के रूप में अंकित किया गया है, उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है । आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2, 3 की ओर से लिखित में उठाया गया यह आधार भी उचित नहीं है कि स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होने से तहसीलदार को 3 माह के लिए बटवारे की कार्यवाही स्थगित कर देना चाहिए थी, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा केवल 1 सप्ताह का समय फर्द बटान प्रस्तुत करने हेतु दिया गया है, और इतनी अल्प अवधि में व्यवहार वाद प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि प्रथमतः आवेदक के हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, द्वितीय वर्ष 2008 से बटवारा प्रकरण प्रचलित है, अतः यदि वास्तव में प्रश्नाधीन भूमि उसके आधिपत्य में है एवं उसके पक्ष में वसीयतनामा सम्पादित होने से उसका स्वत्व है, तब उसे अभी तक व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर तहसील न्यायालय में प्रस्तुत कर देना चाहिए था । इस संबंध में अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में निकाला गया निष्कर्ष औचित्यपूर्ण है कि तहसील न्यायालय में दिनांक 7–6–2008 से बटवारा प्रकरण लंबित है, आवेदक को चाहिए था कि वसीयतनामा के आधार पर व्यवहार वाद प्रस्तुत कर स्वत्व की घोषणा करा सकता था, क्योंकि स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है, स्वत्व निर्धारण का अधिकार राजस्व न्यायालय को

नहीं है । आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2, 3 की ओर से लिखित तर्क में उठाया गया यह आधार भी मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि नामांतरण आदेश के विरूद्ध उसके द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसके निरस्त होने पर द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है । इस प्रकार प्रश्नाधीन भूमि पर किया गया नामांतरण अंतिम नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में बटवारा आदेश पारित करने से भविष्य में आवेदक को कई मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यदि द्वितीय अपील में तहसील न्यायालय द्वारा किया गया नामांतरण आदेश निरस्त होकर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामांतरण होता है, तब तहसीलदार द्वारा पारित बटवारा आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा । संभावना के आधार पर वर्तमान में अभिलिखित सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार द्वारा की जा रही बटवारे की कार्यवाही को अवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है । दर्शित परिस्थितियों में अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–6–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर